फा.सं. 5/2/2016-नीति
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग

ब्लॉक संख्या 14, सीजीओ कॉम्प्लैक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

दिनांक : 27 मई, 2016

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसईस) के पूंजीगत पुर्नगठन संबंधी दिशा-निर्देशों के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को उपरोक्त विषय का सन्दर्भ लेने और "सीपीएसईस के पूंजीगत पुनर्गठन संबंधी दिशा-निर्देश" की एक प्रति इसके साथ संलग्न करने का निदेश हुआ है। ये दिशा-निर्देश सीपीएसईस में सरकार के निवेश के दक्ष प्रबंधन के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाने के सरकार के केन्द्र बिन्दु के अनुरूप है।

2. प्रशासनिक मंत्रालय/विभागों से अनुरोध है कि वे अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सीपीएसईस द्वारा उपरोक्त दिशा-निर्देशों के अनुपालन के लिए आवश्यक कार्रवाई करें। इन दिशा-निर्देशों की एक प्रति दीपम की वेबसाइट अर्थात www.divest.nic.in पर भी अपलोड कर दी गई है।

3. इसे माननीय वित्त मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

(जी. पार्थसारथी)
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाष : 011-24366523
E-mail : parthasarthi.g@nic.in

संलग्नक: यथोपरि।

सेवा में

भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के सचिव

(संलग्न सूची के अनुसार)

डाक सूची

1. कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
   (i) सचिव, कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग
   (ii) सचिव, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग
   (iii) सचिव, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य विभाग
2. सचिव, आयुध मंत्रालय
3. सचिव, परमाणु ऊर्जा
4. रसायन और उर्वरक मंत्रालय
   (i) सचिव, रसायन और पेट्रोरसायन विभाग
   (ii) सचिव, उर्वरक विभाग
   (iii) सचिव, औषध विभाग
5. सचिव, नागर विमानन मंत्रालय
6. सचिव, कोयला मंत्रालय
7. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
   (i) सचिव, वाणिज्य विभाग
   (ii) सचिव, औद्योगिक नीति एवंम संवर्धन विभाग
8. संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
   (i) सचिव, इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
   (ii) सचिव, डाक विभाग
   (iii) सचिव, दूरसंचार विभाग
9. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
   (i) सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग
   (ii) सचिव, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग
10. सचिव, निगमित कार्य मंत्रालय
11. सचिव, संस्कृति मंत्रालय
12. रक्षा मंत्रालय
   (i) सचिव, रक्षा विभाग
   (ii) सचिव, रक्षा उत्पादन विभाग
   (iii) सचिव, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन
   (iv) सचिव, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग
13. सचिव, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय
14. सचिव, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय
15. सचिव, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

16.सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

17.सचिव, विदेश मंत्रालय

18.वित्त मंत्रालय

(i) सचिव, आर्थिक कार्य विभाग

(ii) सचिव, व्यय विभाग

(iii)सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग

(iv)सचिव, राजस्व विभाग

19. सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

20. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(i) सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

(ii) सचिव, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग

21. भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

(i) सचिव, भारी और लोक उद्योग विभाग

(ii) सचिव, लोक उद्यम विभाग - सीपीएसईस द्वारा दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के अनुरोध के साथ।

22. सचिव, गृह मंत्रालय

23. सचिव, आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय

24. मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(i) सचिव, उच्च शिक्षा विभाग

(ii) सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

25. सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

26. सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

27.सचिव, विधिक कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय

28.सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

29.सचिव, खान मंत्रालय

30. सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

31.सचिव, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

32.सचिव, पंचायती राज मंत्रालय

33.सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय

34. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(i) सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग

(ii) सचिव, प्रशासनिक सुधार और लोग शिकायत विभाग (डीएआरपीजी)

(iii) सचिव, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

35. सचिव, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय

36. सचिव, विद्युत मंत्रालय

37. सचिव, रेल मंत्रालय

38. सचिव, सड़क परिवहन एवं राजमर्ग मंत्रालय

39. ग्रामीण विकास मंत्रालय

    (i) सचिव, ग्रामीण विकास विभाग (डीआरडी)

    (ii) सचिव, भूमि संसाधन विभाग (डीएलआर)

40. सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय

    (i) सचिव, जैव प्रौद्योगिकी विभाग

    (ii) सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

    (iii) सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग

41. सचिव, पोत परिवहन मंत्रालय

42.सचिव, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय

43. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

    (i) सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग

    (ii) सचिव, विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग

44. सचिव, अंतरिक्ष विभाग

45.सचिव, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

46. सचिव, इस्पात मंत्रालय

47.सचिव, वस्त्र मंत्रालय

48.सचिव, पर्यटन मंत्रालय

49.सचिव, आदिवासी कार्य मंत्रालय

50. सचिव, शहरी विकास मंत्रालय

51. सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

52. सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

53. युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

    (i) सचिव, खेल विभाग

    (ii) सचिव, युवा कार्य विभाग

विषय :- केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का निवेश प्रबंधन - केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के पूंजीगत पुनर्गठन से संबंधित दिशा-निर्देश।

<u>पृष्ठभूमि</u>

लोक उद्यम विभाग, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग तथा आर्थिक कार्य विभाग ने बोनस शेयरों के निर्गम, शेयरों की वापस खरीद, शेयरों के विभाजन और लाभांश के संबंध में समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जैसा कि बजट 2016-17 में घोषित किया गया है, सरकार पूंजीगत पुनर्गठन, लाभांश, बोनस शेयर आदि जैसे परस्पर संबंधित मुद्दों का समाधान करके सीपीएसईस में अपने निवेश के दक्ष प्रबंधन के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपना रही है।

2. सीपीएसईस हेतु संसाधन प्रबंधन संबंधी मुद्दों को सरकार के केन्द्र बिन्दु के संदर्भ में देखा जाना आवश्यक है, ताकि अन्य बातों के साथ-साथ सीपीएसईस में भारत सरकार के निवेश के दक्ष प्रबंधन के माध्यम से आर्थिक विकास में तेजी लाई जा सके। अतः यह अनिवार्य है कि किसी सीपीएसई में बड़ी शेयरधारक निवेशक होने के नाते भारत सरकार के हितों का कंपनी के बोर्ड में नामित `सरकारी निदेशक` के माध्यम से उचित प्रतिनिधित्व हो। नामित निदेशकों को अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना चाहिए, ताकि प्रगति और आर्थिक विकास के लिए सीपीएसईस में भारत सरकार के निवेश का दक्ष आबंटन सुनिश्चित हो सके। इसके लिए अपेक्षित होगा कि ऐसे वित्तीय मामलों में इस दृष्टिकोण के अनुरूप बोर्ड की बैठकों से पहले विभाग/प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा एक उपयुक्त दृष्टिकोण अपनाया जाए।

3. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में इन विषयों पर दिशा-निर्देशों को तर्कसंगत बनाए जाने की आवश्यकता है ताकि सीपीएसईस के पूंजीगत पुनर्गठन के विभिन्न पहलुओं को व्यापक तौर पर घटक बनाया जा सके। तदनुसार, पूर्व में जारी किए गए दिशा-निर्देशों का अधिक्रमण करते हुए सीपीएसईस के पूंजीगत पुनर्गठन हेतु सामान्य सिद्धांतों और तंत्र पर आधारित निम्नलिखित समेकित दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं :-

4. पात्रता :

4.1 ये दिशा-निर्देश उन सभी निगमित निकायों के लिए लागू होंगे, जहां भारत सरकार और/या सरकार द्वारा नियंत्रित एक या एक से अधिक निगमित निकायों का नियंत्रक हित हो [इसके बाद इन दिशा-निर्देशों के लिए केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसईस) के रूप में संदर्भित होंगे]।

4.1.1 निगमित निकायों में वे निकाय शामिल होंगे, जो सीमित देयता साझेदारी को छोड़कर कंपनी अधिनियम, 1956 या कंपनी अधिनियम, 2013 या किसी अन्य लागू अधिनियम के उपबंधों के अधीन निगमित किए गए हों।

4.1.2 नियंत्रक हित का अभिप्राय है निदेशक मंडल की संरचना पर नियंत्रण; या कुल शेयर पूंजी में से आधी से अधिक पूंजी पर नियंत्रण या सदस्यों, निदेशक मंडल या इसी प्रकार की किसी

अन्य कार्यकारी संरचना अर्थात नियंत्रण निकाय, कार्यकारी समिति आदि की बैठक में 50% से अधिक मतदान अधिकारों का उपयोग।

4.1.3 ऐसा निगमित निकाय, जिसमें भारत सरकार और/या उनकी सहायक कंपनियों सहित सीपीएसईस का निदेशक मंडल की संरचना पर नियंत्रण हो या कुल शेयर पूंजी में से आधी से अधिक पूंजी पर उनका नियंत्रण हो, भारत सरकार द्वारा नियंत्रित निकाय माना जाएगा।

4.2 लाभांश के भुगतान, बोनस शेयरों के निर्गम तथा शेयरों की वापस खरीद हेतु ये दिशा-निर्देश उस निगमित निकाय के लिए लागू नहीं होंगे, जो अपने सदस्यों को लाभ के वितरण हेतु प्रतिबंधित हो, अर्थात वे कंपनियां जो कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 8 या अन्य किसी अधिनियम के लागू उपबंधों के अधीन स्थापित की गई हों या जिनका संचित घाटा हो।

4.3 लाभांश के भुगतान हेतु दिशा-निर्देश 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष से या उसके बाद लागू होंगे तथा बोनस शेयरों के निर्गम, शेयरों की वापस खरीद और उनके विभाजन हेतु दिशा-निर्देश 01 अप्रैल, 2016 से आरंभ होने वाले वित्त वर्ष से या उसके बाद लागू होंगे।

4.4 सीपीएसईस अपने वार्षिक लेखे को अंतिम रूप देने तथा उसके अनुमोदन हेतु आयोजित कंपनी की बोर्ड बैठक में एक अनुपालन नोट के साथ इन दिशा-निर्देशों को कार्यसूची की एक मद के रूप में उठाकर इनका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। उसके तुरंत बाद आयोजित की जाने वाली वार्षिक आम बैठक/असाधारण आम बैठक में शेयरधारकों/सदस्यों का अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

5. लाभांश का भुगतान :

5.1 व्यय विभाग ने अपने दिनांक 27.09.2004 और 23.11.2005 के का.ज्ञा. सं. क्रमशः 7(5)ई.-समन्वय/2004 तथा 7(2)ई.-समन्वय/2005 के तहत और आर्थिक कार्य विभाग ने अपने दिनांक 05.01.2016 के का.ज्ञा. सं. 3(3)-बी (एस)/2015 के तहत सीपीएसईस द्वारा लाभांश भुगतान से संबंधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं। तथापि, यह देखा गया है कि सीपीएसईस अपनी पूंजी और निवल मूल्य में एक सही संतुलन बनाए रखने के लिए बोनस शेयरों के निर्गम द्वारा अपनी पूंजी का पुनर्गठन नहीं कर रहे हैं। एक नियमित अंतराल पर एक तार्किक दर पर लाभांश घोषित करने से निवेशकों का भरोसा बढ़ता है। हालांकि, लाभांश का भुगतान प्रदत्त शेयर पूंजी पर किया जाता है, फिर भी लाभांश भुगतान को शेयरधारकों के पैसे अर्थात निवल मूल्य पर प्रतिफल के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। अतः लाभांश के रूप में निवल मूल्य पर प्रतिफल, कंपनी में निवेशकों का भरोसा बढ़ाने के लिए एक वांछनीय पैरामीटर है। इसके अलावा, निवल मूल्य पर प्रतिफल की निवेशकों के लिए उपलब्ध वैकल्पिक निवेश अवसरों के साथ तुलना की जानी आवश्यक है। अतः एक स्पष्ट लाभांश नीति की आवश्यकता महसूस की गई है और सीपीएसईस को लाभांश संबंधी निर्णय एक स्पष्टतः निर्धारित ढांचे/सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार लिए जाने की आवश्यकता है।

5.2 पूर्ववर्ती दिशा-निर्देशों का अधिक्रमण करते हुए प्रत्येक सीपीएसई लागू विधिक उपबंधों के अधीन अनुमत अधिकतम लाभांश के अध्याधीन, करोपरांत लाभ के 30% या निवल मूल्य के 5%, जो भी अधिक हो, न्यूनतम वार्षिक लाभांश का भुगतान करेगा।

5.3 तथापि, जिस अधिनियम के अधीन सीपीएसईस की स्थापना की गई है, उसके अधीन उनसे तब तक अधिकतम अनुमत लाभांश का भुगतान किए जाने की प्रत्याशा की जाती है, जब तक वित्तीय सलाहकारों के अनुमोदन के साथ प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के स्तर पर मामला-दर-मामला आधार पर निम्नलिखित पहलुओं के विश्लेषण के बाद कम लाभांश का प्रस्ताव न किया गया हो :

(i) सीपीएसईस का निवल मूल्य और उसकी ऋण लेने की क्षमता;
(ii) दीर्घावधिक ऋण;
(iii) पूंजीगत व्यय/व्यावसायिक विस्तार आवश्यकताएं;
(iv) पूंजीगत आवश्यकताओं के अनुरूप लाभ को भावी फायदे के लिए रोकना;
(v) नकद तथा बैंक शेष।

5.4 विश्लेषण में यह प्रमाणित किया जाना चाहिए कि सीपीएसईस द्वारा उच्चतर निवेश सुनिश्चित करने के लिए अपने निवल मूल्य को बढ़ाते हुए निधियों की रोक को इष्टतम सहारा प्रदान किया जा रहा है। इस बारे में छूट यदि कोई हो, हेतु रिपोर्ट, वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही की समाप्ति से पहले सीपीएसईस द्वारा अपने प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से सचिव, आर्थिक कार्य विभाग और सचिव, निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग को प्रस्तुत की जाएगी।

6. शेयरों की वापस खरीद :

6.1 शेयरों की वापस खरीद के बारे में लोक उद्यम विभाग ने दिनांक 26 मार्च, 2012 के का.ज्ञा. सं.डीपीई/14(24)2011-वित्त के तहत दिशा-निर्देश जारी किए थे। इन दिशा-निर्देशों में केवल यह व्यवस्था है कि यदि कोई सीपीएसई अपनी सरप्लस धनराशि का उपयोग करते हुए शेयरधारकों से अपने ही शेयरों की वापस खरीद करने का निर्णय ले तो प्रमुख शेयरधारक की ओर से विनिवेश विभाग, भारत सरकार की ओर से इक्विटी की पेशकश कर सकता है। इनमें आगे व्यवस्था की गई है कि सीपीएसईस को शेयरों की वापस खरीद की व्यवस्था के लिए अपनी समझौता नियमावली संशोधित करनी होगी, बशर्ते, समझौता नियमावली में ऐसे उपबंध मौजूद न हों।

6.2 यह देखा गया है कि यदि सीपीएसईस के पास व्यावसायिक प्रयोजन हेतु सरप्लस निधियों के इष्टतम उपयोग की कोई योजना न हो तो वे शेयरों की वापस खरीद के विकल्प सहित गुण आधारित पूंजीगत पुनर्गठन की ओर ध्यान नहीं देते। यद्यपि, सीपीएसईस की स्थापना विशिष्ट प्रयोजन हेतु की गई है, फिर भी उनमें से कुछ व्यवहार्य व्यावसायिक विस्तार हेतु नकद/बैंक शेष का उपयोग करने में सक्षम नहीं हैं। ऐसे मामलों में शेयरों की वापस खरीद से कंपनी में निवेशकों के विश्वास में सुधार होता है और इससे भविष्य में कंपनी को उस समय पूंजी जुटाने में सहायता मिलने की संभावना होती है, जब उसे प्रगति हेतु विस्तार/विविधीकरण हेतु निधियों की

आवश्यकता हो। इस प्रकार, इससे उनके बाजार पूंजीकरण को समर्थन मिलता है, जो कंपनी के समग्र दीर्घकालिक हित में होता है।

6.3 पूर्ववर्ती दिशा-निर्देशों का अधिक्रमण करते हुए प्रत्येक सीपीएसई को वापस खरीद के प्रयोजन हेतु वित्त वर्ष की समाप्ति के बाद पहली बोर्ड बैठक में निम्नलिखित पैरामीटरों पर ध्यान देना होगा और विश्लेषण/विचार करना होगा :

(i) नकद तथा बैंक शेष;
(ii) पूंजीगत व्यय तथा पिछले तीन वर्षों में किए गए पूंजीगत व्यय के संदर्भ में यथा प्रतिबद्ध व्यावसायिक विस्तार;
(iii) निवल मूल्य [अन्य रिज़र्व (यदि कोई हो) सहित मुक्त रिज़र्व तथा प्रदत्त पूंजी];
(iv) दीर्घावधिक ऋण तथा अपने निवल मूल्य के आधार पर और ऋण लेने की क्षमता;
(v) निकट भविष्य में कोई अन्य वित्तीय प्रतिबद्धताएं;
(vi) व्यावसायिक/अन्य प्राप्तियां तथा आकस्मिक देयताएं, यदि कोई हों; और
(vii) शेयर का बाजार मूल्य/बही मूल्य ।

6.4 इस विश्लेषण के आधार पर स्पष्ट रूप से यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि वापस खरीद के माध्यम से पूंजी पुनर्गठन के लिए सीपीएसई के पास उपलब्ध सरप्लस नकदी तथा बैंक शेष पर विचार किया जाएगा। तथापि, प्रत्येक सीपीएसई, जिसका निवल मूल्य न्यूनतम 2,000 करोड़ रुपये हो और जिसके पास नकद तथा बैंक शेष 1,000 करोड़ रुपये से अधिक हो, वह अपने शेयरों की वापस खरीद के विकल्प का उपयोग करेगा।

7. बोनस शेयरों का निर्गम :

7.1 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा बोनस शेयरों के निर्गम के संबंध में लोक उद्यम विभाग ने दिनांक 10 नवंबर, 1995 के का.ज्ञा. सं. डीपीई/12(6)/95-वित्त तथा 25 नवंबर, 2011 के का.ज्ञा. सं. डीपीई/13(21)-वित्त के तहत दिशा-निर्देश जारी किए थे। इन दिशा-निर्देशों में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक प्रशासनिक मंत्रालय अपने नियंत्रणाधीन सीपीएसईस को निदेश दे कि जिस उद्यम के पास अपनी प्रदत्त पूंजी से तीन गुना से अधिक रिज़र्व हों, उसे भारत सरकार को तथा यदि पहले आंशिक विनिवेश हुआ हो तो अन्य मौजूदा शेयरधारकों को समानुपातिक आधार पर बोनस शेयरों के निर्गम की संभावना पर तुरंत विचार करना चाहिए।

7.2 व्यय विभाग द्वारा दिनांक 24 सितंबर, 2004 को कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया था जिसमें सभी लाभ अर्जित करने वाली कंपनियों द्वारा सरकार को अनिवार्य रूप से बोनस शेयर जारी किए जाने पर अनिवार्य रूप से विचार करने की भी व्यवस्था की गई थी। तदुपरांत, विभाग ने अपने दिनांक 23 नवंबर, 2005 के का.ज्ञा. के तहत यह शर्त लगाई थी कि सरकारी क्षेत्र के जिन उद्यमों के पास भारी मात्रा में नकद/मुक्त रिज़र्व हों और स्थाई लाभप्रदता हो, वे बोनस शेयर जारी करेंगे। आर्थिक कार्य विभाग के दिनांक 05 जनवरी, 2016 के का.ज्ञा. सं. के तहत यह

व्यवस्था की गई है कि जिन सीपीएसईस के पास भारी मात्रा में नकद/मुक्त रिज़र्व हों और स्थाई लाभप्रदता हो, वे बोनस शेयर जारी कर सकते हैं।

7.3 सरकार ने समय-समय पर इस वांछनीयता को रेखांकित किया है कि सीपीएसईस को मौजूदा शेयरधारकों को बोनस शेयर जारी करके अपने भारी भरकम रिज़र्व के एक भाग का पूंजीकरण करना चाहिए। बोनस शेयरों का निर्गम प्रदत्त पूंजी और संचित रिज़र्व के बीच एक संतुलन बनाने में सहायता करता है तथा सरकारी उद्यमों के इक्विटी निर्गमों के प्रति अच्छी सार्वजनिक प्रतिक्रिया और उसके बाजार पूंजीकरण को स्पष्टता प्रदान करता है।

7.4 पूर्व में जारी किए गए सभी दिशा-निर्देशों का अधिक्रमण करते हुए, जब सीपीएसईस के परिभाषित रिज़र्व और सरप्लस उनकी प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के पांच गुना के बराबर या उससे अधिक हों तो प्रत्येक सीपीएसई को अपनी बोर्ड बैठक/वित्तीय समिति में बोनस शेयरों के निर्गम पर ध्यान देना चाहिए और विश्लेषण/विचार करना चाहिए। यदि बोनस शेयर न जारी करने का निर्णय लिया जाए तो नामित `सरकारी निदेशक` यह सुनिश्चित करेगा कि बोर्ड ऐसे निर्णय के तर्क का विश्लेषण करे और इसके कारण विशेष रूप से रिकॉर्ड किए जाएं।

7.5 तथापि, प्रत्येक सीपीएसई उस दशा में बोनस शेयर जारी करेगा, जब उसके परिभाषित रिज़र्व तथा सरप्लस उसकी प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के दस गुना बराबर या उससे अधिक हों।

7.6 परिभाषित रिज़र्व तथा सरप्लस का अभिप्राय होगा मुक्त रिज़र्व, शेयर प्रीमियम लेखा और पूंजीगत परिशोधन रिज़र्व लेखा।

8. शेयरों का विभाजन :

8.1 व्यय विभाग द्वारा जारी उनके दिनांक 23 नवंबर, 2005 के का.ज्ञा. सं. 7(2)/ई-समन्वय/2005 में व्यवस्था की गई है कि जिन कंपनियों के शेयरों का बाजार मूल्य अधिक है वे शेयरों के विभाजन पर विचार करेंगी। तथापि, इसमें यह उल्लेख नहीं किया गया है कि सीपीएसईस को शेयरों के विभाजन पर कब विचार करना चाहिए, केवल यही उल्लेख किया गया है कि जिन सीपीएसईस के शेयरों का बाजार मूल्य अधिक है वे शेयरों के विभाजन पर विचार करेंगे।

8.2 सरकार का यह प्रयास रहा है कि छोटे निवेशकों की पूंजी बाजार में भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाए, ताकि बाजार की गहराई, तरलता और शेयरों के व्यापार की मात्रा में वृद्धि की जा सके। तथापि, शेयरों का अधिक मूल्य कभी-कभी कंपनी में निवेश के लिए निवेशकों के लिए बाधा के तौर पर काम करता है। इसे ध्यान में रखते हुए सीपीएसईस के बोर्ड को शेयरों के विभाजन की वांछनीयता पर चर्चा करने और निर्णय लेने की आवश्यकता है।

8.3 तथापि, जहां सीपीएसई के शेयर का बाजार मूल्य या बही मूल्य उसके अंकित मूल्य के 50 गुना से अधिक हो जाए, तो सीपीएसई अपने शेयरों का उपयुक्त रूप से विभाजन करेगा, बशर्ते, उसके शेयर का मौजूदा अंकित मूल्य एक रूपये के समान या उससे अधिक हो।

9. विविध उपबंध :

9.1 उपर्युक्त दिशा-निर्देशों में यथा-संदर्भित निवल मूल्य का अर्थ वही होगा, जो समय-समय पर यथा-संशोधित कंपनी अधिनियम, 2013 में परिभाषित है।

9.2 लाभांश के भुगतान, बोनस शेयरों, वापस खरीद और शेयरों के विभाजन से संबंधित उपर्युक्त दिशा-निर्देश उस अधिनियम, जिसके अधीन सीपीएसई की स्थापना की गई है, के समय-समय पर यथा-संशोधित उपबंधों और किन्हीं अन्य लागू विनियमों/नियमों के अध्यधीन होंगे।

9.3 यदि कोई सीपीएसई उपर्युक्त दिशा-निर्देशों में से किसी दिशा-निर्देश का अनुपालन करने में सक्षम नहीं है, तो उसे अपने प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के माध्यम से दीपम, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से विशेष छूट प्राप्त करनी होगी। प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा इन दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा और छूट हेतु प्रस्ताव, अपनी राय/टिप्पणियों तथा मामले में वित्तीय सलाहकार की सहमति के साथ दीपम को संदर्भित करना होगा।

9.4 लोक उद्यम विभाग जो एक वार्षिक सर्वेक्षण आयोजित करता है, अपने मौजूदा प्रारूप में, यदि अपेक्षित हो, उपयुक्त संशोधन करने पर विचार कर सकता है, ताकि सीपीएसईस में भारत सरकार के निवेश के दक्ष प्रबंधन हेतु उपर्युक्त दिशा-निर्देशों के विभिन्न पहलुओं को पर्याप्त रूप से घटक बनाया जा सके। सर्वेक्षण के निष्कर्षों को भी "लोक उद्यम सर्वेक्षण" से संबंधित अपने वार्षिक प्रकाशन में उपयुक्त रूप से शामिल किया जा सकता है।

*****